

## उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र।

### निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गाजियाबाद क्षेत्र के कौशाम्बी तथा साहिबाबाद डिपो द्वारा संचालित वातानुकूलित बसों में प्रमाणित ब्राण्डेड बोतलबन्द पेयजल यात्रियों को उपलब्ध/वितरित करने हेतु आवश्यकता है। उपरोक्त बोतलबन्द पेयजल का एफ0ए0एस0 एस0आई0 द्वारा प्रमाणित लेब से परिक्षण कराया जा सकता है।

अतः ब्राण्डेड बोतलबन्द पेयजल 500 तथा 200 एम0एल0 की सील बन्द बोतल प्राप्त करने हेतु यात्रियों की सुविधा हेतु शीतल पेयजल बोतल हेतु उत्पादक फर्मों से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त टेण्डर प्रणाली द्वारा सक्षम अधिकारी के कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद में दिनांक:- 28.06.2017 को 14.00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

1.	टेण्डर क्रय करने का स्थान	क्ष0प्र0 कार्यालय, कौशाम्बी गा0बाद दि0 14.06.2017 से 28.06.2017
2.	टेण्डर भरकर जमा करने की तिथि व स्थान	दि0 29.06.2017 को समय 14 बजे तक। कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद।
3.	टेण्डर खुलने की तिथि व समय	दिनांक 29.06.2017 अपरान्ह में 15.00 बजे
4.	ठेके की अवधि	01, वर्ष।
5.	उपभोग	लगभग-100000 बोतल प्रतिमाह, उक्त मात्रा घट-बढ़ सकती है।
	डिपो	सामग्री का नाम
		अधिकतम मुल्यप्रति बोतल
	कौशाम्बी एवं साहिबाबाद	शीतल/सामान्य बोतलबन्द पेयजल 500 तथा 200 एम0एल
		200एम0एल0 रू0-4.00 प्रति बोतल तथा 500 एम0एल0 रू0-6.00 प्रति बोतल अधिकतम दर (कर सहित)

टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म के साथ रू0-5000.00 धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम ऑफर की स्वीकृति टेण्डर दाता को लिखित प्राप्त होगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक बोतलबन्द पानी में व्यय राशि का भुगतान नियमानुसार मुख्यालय से प्राप्त कर तदनुसार आपूर्तिकर्ता मासिक/पाक्षिक को भुगतान उपलब्ध करायेगें। टेण्डरदाता ऑनलाईन टेण्डर फार्म को डाउन लोड कर सकता है जिसमें रू0 500/-का बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो नॉन-रिफंडेबल है।

#### शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- 1-प्रतिष्ठित फर्मों, में से (आई.एस.ओ.) होल्डर को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- 2-संबंधित फर्म को भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल संबंधित मानको के अनुरूप होने चाहिए।
- 3-जिस उत्पादककर्ता की गाजियाबाद में पानी का संयंत्र स्थापित है उसी फर्म का वरीयता प्रदान की जा सकती है।
- 4-चयनित फर्म को डिपो में ठण्डी सीलबंद पेयजल बोतलो की आपूर्ति अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी।
- 5-समस्त देय कर फर्म को वहन करने होंगें।
- 6-लीकेज/वेस्टेज का दायित्व फर्म का होगा।

  
12/6/17

7-टेण्डर के साथ सीलबद्ध पानी सैपल लाना अनिवार्य होगा, जिसकी जांच लेबोरेटीज से करायी जायेगी, तदोपरान्त कार्यदेश जारी किया जायेगा।

8-टेण्डर प्रक्रिया की अवधि अस्थायी है उक्त में मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9-यात्रियों को शीतलजल प्राप्त कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसके लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था फर्म को करनी होगी।

न्यूनतम टेण्डर राशि को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति में निहित होगा। उक्त ठेका हेतु गाजियाबाद में बोटलिंग प्लांट स्थापित निविदा दाता को वरीयता प्रदान की जायेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
गाजियाबाद।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,  
गाजियाबाद।

पत्रांक: 5228 /क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/ठेका-पानी/नीलामी/2017 दिनांक:- 13.06.2017

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान प्रबन्धक (विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त टेण्डर को Govt.eportal etender.up.nic.in पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम,..... को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु।
- 4- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम कौशाम्बी, साहिबाबाद डिपो।
- 5- नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय / डिपो / बस स्टेशन।
- 6- [Tender@upsrtc.com](mailto:Tender@upsrtc.com) पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु।

क्षेत्रीय प्रबन्धक  
गाजियाबाद।